

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 67A/2016-17

सनातन गुन्दुवा बनाम कुन्ती सोय कोंडाकल

:: आदेश ::

अभ्युक्ति


दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

23.6.2018

अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता सनातन गुन्दुवा पिता स्व० मोहन नन्द किशोर गुन्दुवा, ग्राम-राजाबासा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता कुन्ती सोय कोंडाकल पति-करजी कोंडाकेल, ग्राम-केन्दुपोसी, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।